

Point No.-7**EDS Date 15.03.2018****FP/UK/VELEC/31089/2017****प्रतिउत्तर:-**

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्राम-सालरा का विद्युतीकरण कार्य किया जाना स्वीकृत है। ग्राम-सालरा, जनपद-उत्तरकाशी के विकासखण्ड-मोरी के उन अविद्युतिकृत ग्राम में सम्मिलित है जोकि विद्युत सुविधा से वंचित हैं। इसके लिए सर्वे अनुसार 11 के0वी0 विद्युत लाइन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। विद्युत लाइन का सर्वे रूट इस प्रकार रखा गया है, कि विद्युत लाइन निर्माण में कम से कम वनभूमि आये एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। उपरोक्त के संदर्भ में यह भी अवगत कराना है कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना केन्द्र सरकार की बहुप्रतीक्षित व समयबद्ध योजना है जिसमें ससमय पर कार्यों का सम्पन्न होना अतिआवश्यक है। उपरोक्त ग्राम का विद्युतीकरण अभी तक वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त न होने के कारण अभी तक अविद्युतिकृत है, किन्तु भारत सरकार की केन्द्र पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है अतः वन विभाग द्वारा कार्य करने हेतु अनापत्ति दी जानी अत्यन्त आवश्यक है ताकि गांव का विद्युतीकरण किया जा सके एवं बजट का सदुपयोग किया जा सके।

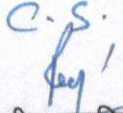
प्रस्तावित रूट के विरुद्ध विद्युत लाइनें बिछाने हेतु अन्य स्थल का भी निरीक्षण किया गया किन्तु अन्य प्रत्यावर्तित रूट/मार्ग में घना जंगल, उच्च पर्वतीय क्षेत्र, कठोर चट्टाने, पानी के झरने होने के कारण तथा तीन गुना अधिक संख्या में पेड़ों के कटान के कारण प्रत्यावर्तित रूट/मार्ग का चयन नहीं किया गया एवं प्रत्यावर्तित रूट/मार्ग भी पूर्ण रूप से वन आच्छादित हैं। अतः प्रस्तावित रूट ही विद्युत लाइन बिछाने हेतु उपयुक्त पाया गया है। अतः उपरोक्त परियोजना में Alternative Route का चयन किया गया किन्तु उपयुक्त नहीं पाया गया, जिस कारण मैप इत्यादि की आवश्यकता नहीं है।

विद्युत लाइन हेतु वन भूमि 4.25 हे0 की मांग की गई है लाइन के प्रस्तावित रूट में कोई मन्दिर, चर्च, कबिरस्तान आदि नहीं पड़ता है। प्रमाण पत्र पूर्व में अपलोड कर दिया गया है।

प्रस्तावित लाइन के संयुक्त निरीक्षण वन विभाग, राजस्व विभाग व उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया जा चुका है। प्रमाण पत्र पूर्व में अपलोड कर दिया गया है।

उपरोक्त कार्य के करने से एक ओर विद्युत विहीन गांव/तोक में विद्युत की सुविधा प्राप्त होगी वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सूचना क्रान्ति की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

अतः सार्वजनिक एवं जनहित के लिए 4.25 हे0 वन भूमि विद्युत लाइन बिछाने हेतु उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया है।


प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला,
उत्तरकाशी


अधिशाली अभियन्ता (परियोजना)

ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0,

Dehradun
Executive Engineer (Project)
Rural Electrification Division
Uttarakhand Power Corporation Ltd
V.C.V. Gabar Singh Bhawan
Kanwali Road, Dehradun

Point No.-2**FP/UK/VELEC/31089/2017****EDS Date 15.03.2018****प्रतिउत्तर:-**

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्राम-सालरा का विद्युतीकरण कार्य किया जाना स्वीकृत है। इसके लिए लगभग 7.6 किलोमीटर 11 के0वी0 विद्युत लाइन का निर्माण किया जाना है। विद्युत लाइन का सर्वे रूट इस प्रकार रखा गया है, कि विद्युत लाइन निर्माण में कम से कम वनभूमि आये एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। उपरोक्त के संदर्भ में यह भी अवगत कराना है कि केन्द्रीय पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना केन्द्र सरकार की बहुप्रतीक्षित व समयबद्ध योजना है जिसमें ससमय पर कार्यों का सम्पन्न होना अतिआवश्यक है वर्तमान समय में जनपद-उत्तरकाशी के मोरी-ब्लॉक के ग्राम-सालरा अभी तक अविद्युतीकृत हैं जिनमें की विद्युत लाइन किसी अन्य स्थान से ले जाना सम्भव नहीं है। ग्राम-सालरा का विद्युतीकरण तभी संभव है जबकि ग्राम-सालरा तक विद्युत लाइन बिछाने की स्वीकृति प्राप्त हो सके एवं ग्राम-सालरा जनपद-उत्तरकाशी के अविद्युतीकृत होने के कारण क्षेत्रीय जनता अभी तक विद्युत सुविधा से वंचित है।

प्रस्तावित उपरोक्त सभी तथ्यों के मध्यनजर ग्राम-सालरा के विद्युतीकरण हेतु वन विभाग से अनापत्ति अत्यन्त आवश्यक है।

प्रस्तावित योजना के लाभ

1. सभी घरों एवं ग्रामों का विद्युतीकरण
2. स्कूलों, पंचायतों, अस्पतालों इत्यादि को विद्युत पहुँच।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक विकास के लिये अवसरों में वृद्धि।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त एवं निरन्तर बिजली की आपूर्ति।
5. स्थानीय जनता को रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना।
6. सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को निःशुल्क विद्युत संयोजन देना।

उपरोक्त योजना में होने वाले कार्य में बजट व्यवस्था अनुदान एवं ऋण प्रणाली के अन्तर्गत है यदि राज्य सरकार द्वारा समय पर कार्य को पूर्ण कर लिया जाता है तो सम्पूर्ण धनराशि अनुदान में परिवर्तित हो जायेगी जिसे प्रयोक्ता एजेंसी एवं राज्य सरकार पर अतिरिक्त व्यय नहीं आयेगा।

विद्युत लाइन हेतु वन भूमि 4.25 हे0 की मांग की गई है लाइन के प्रस्तावित रूट में कोई मन्दिर, चर्च, कबरिस्तान आदि नहीं पड़ता है।

प्रस्तावित लाइन के संयुक्त निरीक्षण वन विभाग, राजस्व विभाग व उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया जा चुका है। उपरोक्त विद्युत लाइन हेतु मात्र 108 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

उपरोक्त कार्य के करने से एक ओर विद्युत विहीन गांव/तोक में विद्युत की सुविधा प्राप्त होगी वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सूचना क्रान्ति की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

अतः सार्वजनिक एवं जनहित के लिए 4.25 हे0 वन भूमि विद्युत लाइन बिछाने हेतु उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला,
उत्तरकाशी

अधिसासी अभियन्ता (परियोजना)
ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0.
Executive Engineer (Project)
Rural Electrification Division
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
V.C.V. Gabar Singh Bhawan
Kanwali Road, Dehradun